तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कालूराम नायक बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टश्र प्रथम जोधपुर) **सू.अ.अ. अपील संख्या 244 / 2019**	
13.01.20	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी कालूराम नायक, पता 63, महादेव नगर पनजी का बेरे के पास, पाल रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.11.2019 में उसके द्वारा (1) दिनांक 27.05.2019 को आपके द्वारा उपखण्ड अधिकारी पत्र कमांक 2745 को प्रेषित किया गया था, प्रेषित पत्र में राजस्थान के बाहर की गैर निवासी आदिवासी महिला का फर्जी एस टी जनजाति प्रमाण पत्र की जांच रिपोर्ट व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	